कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–5,
नजीबाबाद (बिजनौर)

क्र0 सं0	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियॉ कृत्य और कर्तव्य	खण्ड मे पूर्वी गंगा नहर निर्माण परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु वांछित भूमि जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कृषकों से आपसी समझौते के आधार पर बैनामें कराकर भूमि प्राप्त कर नहरों का निर्माण कराया जाता है। प्रोजेक्ट प्राविधान के अनुसार नहरों में वी0आर0बी0, पी0आर0बी0, डी0आर0बी0, एवं साइफन जैसे पक्के कार्यो का निर्माण भी कराया जाता है। तहसील दिवस एवं जिला स्तरीय बैठकों में मा0 जन प्रतिनिधियों/कृषकों द्वारा उठाई गयी समस्याओं का निराकरण कराये जाते है। कराये गये कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पूर्वी गंगा नहर निर्माण मण्डल, बिजनौर को प्रत्येक माह नियमित रूप से प्रेषित की जाती है।
2	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य।	कर्मचारी एवं अधिकारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते है और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
3	निश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	खण्ड में निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है। अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, लिपिकीय वर्ग, ड्राइंग संवर्ग, राजस्व संवर्ग, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	खण्ड में अधिशासी अभियन्ता का पद सृजित है जिसके नियंत्रणाधीन खण्डीय अधिकारी/कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
5	अपने नियन्त्रणाधीन पारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये निये विनियम अनुदेश निदेर्शिका और समलेख।	खण्ड में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, कार्यालय सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है जिनके द्वारा शासनादेष एवं पूर्व घोशित नियमावली के अनुसार कार्य सम्पन्न करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियंन्त्रण में है।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते है, नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यो के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	खण्ड में नहरों का निर्माण कार्य मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा), मुरादाबाद/अधीक्षण अभियन्ता महोदय के निर्देशानुसार सम्पन्न कराया जाता है।

1	2	3
8	बोर्ड परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी है और यह विवरण की क्या इन बोर्डो परिषदों समितियों तथा अन्य निकायो की बैठक लोगो के लए खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगो के लिए सुलभ है।	खण्ड से सम्बन्धित नही है।
9	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देर्शिका	इस खण्ड के कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते है और राज्य सरकार के निर्गत निर्देर्षों का पालन करते है।
10	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।	विभागीय नियमावली के अनुसार अधिकारियो/कर्मचारियो के मासिक तथा त्रैमासिक आंकड़े पूर्वी गंगा नहर निर्माण मण्डल बिजनौर को समयानुसार प्रेशित किये जाते है।
11	सभी योजनाओं, पस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिर्पोटो की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट।	इस खण्ड को बजट ए0आई0वी0पी0 योजना एवं राज्यांश से उपलब्ध कराया जाता है जिसका व्यय विवरण मण्डल कार्यालय/महालेखाकार उ0 प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित किया जाता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निश्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्बन्धित है।	पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत बजट ए0आई0वी0पी0 एवं राज्यांश द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जिसका व्यय विवरण उच्चाधिकारियों को समयान्तर्गत भेजा जाता है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारी के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियॉ	शासन के निर्देषानुसार खण्ड में नहरों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा निर्धारित हो।	खण्ड द्वारा समस्त सूचनाऐं उच्चाधिकारियों को संकलित कर भेजी जाती है आवष्यकतानुसार प्रिन्ट मीडियॉ से प्रचार प्रसार कराया जाता है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओ की विशिष्टियॉ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	खण्ड में ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नही है।
16	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ।	जनसूचना अधिकारी श्री डी0पी0 सिंह अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक जनसूचना अधिकारी श्री संतोश कुमार सहायक अभियन्ता।

अधिशासी अभियन्ता,
पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–5,
नजीबाबाद (बिजनौर)